मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी

एम.ए.सी.पी. संख्या ३६७/२०१९,
कुमारी मस्कान पुत्री स्व. शफीक अहमद निवासी ३५३ सिविल लाइन, झाँसी जिला झाँसी उ. प्र.
-------याचिया

प्रति

१. आशिफ पुत्र नशीम निवासी ७२४/६ डी. सी. स्कूल के बगल में हैवेट मार्केट तालपुरा जिला झाँसी, उ. प्र.
.........वाहन स्वामी एवं चालक वाहन सं. यू.पी. ९३ बीडी २३५०
२. आई.सी.आई.सी.आई. लोमबार्ड जनरल इंश्योरेन्स कम्पनी लि. जरिये प्रबन्धक कनिका होटल बिल्डिंग डी.एम. कार्यालय के सामने, झाँसी
..........बीमाकर्ता वाहन सं. यू.पी. ९३ बीडी २३५०
-------विपक्षीगण

याची के अधिवक्ता- श्री राजीव गुप्ता
विपक्षी सं. ३ के अधिवक्ता- श्री अरूण कुमार श्रीवास्तव

१२.१२.२०२०

पत्रावली आज **राष्ट्रीय लोक अदालत** में पेश हुयी। यह दावा कुमारी मस्कान को मोटर वाहन दुर्घटना मे आयी उपहति पर क्षतिपूर्ति ₹ ४,३०,००० हेतु प्रस्तुत हुआ है। उभय पक्ष उपस्थित। याचिया व विपक्षी सं. २ बीमा कम्पनी के विद्वान अधिवक्ता की ओर से २१बी राजीनामा दाखिल किया गया जो उभय पक्ष की उपस्थिति में तस्दीक किया गया।

याचिया व विपक्षी स. २ बीमा कम्पनी के विद्वान अधिवक्ता को २१बी सुलहनामा पर सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। याचिया कु. मुस्कान व विपक्षी सं. २ बीमा कम्पनी के मध्य हुआ सुलहनामा २१बी उभय पक्ष की उपस्थिति में न्यायाधिकरण द्वारा तस्दीक किया गया है। २१बी सुलहनामा के अनुसार विपक्षी सं. २ बीमा कम्पनी क्षतिपूर्ति के रूप में मुबलिग ₹ ९०,००० याचिया को सम्पूर्ण सन्तुष्टि पर अदा करेगी। उभय पक्ष द्वारा न्यायाधिकरण के समक्ष सुलहनामा २१बी की पुष्टि की गयी है तथा याचिया सुलहनामा २१बी में दर्शित ₹ ९०,००० प्रतिकर के रूप में लेने हेतु सहमत है, जिसे विपक्षी सं. २ बीमा कम्पनी याचिया को देने हेतु तैयार हैं। अतः याचिका सुलहनामा २१बी के अनुसार पूर्ण सन्तुष्टि में निर्णीत किये जाने योग्य है।

आदेश

याचिया की याचिका सुलहनामा २१बी के अनुसार निर्णीत की जाती है। सुलहनामा २१बी इस आदेश का भाग रहेगा। विपक्षी सं. २ आई.सी.आई.सी.आई. लोमबार्ड जनरल इंश्योरेन्स कम्पनी लि. को आदेशित किया जाता है कि वह याचिया को निर्णय के दिनाँक से ३० दिन के अन्दर प्रतिकर की धनराशि मुबलिग ₹ **९०,००० (नब्बे हजार)** भुगतान करने हेतु मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी के Syndicate Bank A/c 92352010008560 IFSC- SYNB0009235 में आर.टी.जी.एस./नेफ्ट के माध्यम से कर दे। धनराशि अन्तरण में याचिका संख्या, नाम बनाम का उल्लेख किया जाएगा तथा ट्रांजैक्शन नं. मय याचिका संख्या व नाम बनाम की सूचना न्यायाधिकरण को ईमेल po-mact.jh@up.gov.in पर भेजी जाएगी। उक्त प्रतिकर धनराशि जमा होने पर याचिया अपने बैंक खाते में जरिए आर.टी.जी.एस./नेफ्ट, नकद प्राप्त कर सकेंगी।

तदनुसार एवार्ड तैयार हो। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(चंद्रोदय कुमार)
पीठासीन अधिकारी
मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2020.12.12 16:27:48 IST
Reason: Presiding Officer
Location: Motor Accident Claim Tribunal Jhansi